संख्या-23/1178/12-3-15-100(50)/2012

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 10 अगस्त, 2015**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./286/लेखा-1/2015-16, दिनांक 13.7.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय सहायता के अन्तर्गत निम्न परियोजनाओं हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-17345 हजार (रू0 एक करोड़ तिहत्तर लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रू**0** में

क्र. सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक	अनुमोदित धनराशि	लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	Construction of boundary wall and CC tile road in Agrimart at Hapur	यू. पी. एग्रो	19.2.2015	2327	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0201-सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय सहायता- 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2327
2	Renovation & Up-gradation works of Hatcheries	मत्स्य विकास निगम	31.5.2013	30018	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0201-सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय सहायता-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	15018
					योग	17345

(रू0 एक करोड़ तिहत्तर लाख पैतालिस हजार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के

http://shasanadesh.up.nic.in

नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

4- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आाधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित संस्थाओं के प्रमुख द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/ 94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

8- योजना में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर सक्षम स्तर से कार्यदायी संस्था का चयन एवं आगणनों के अनुमोदन के उपरान्त धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि से योजनाओं के अन्तर्गत सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों के संबंध में सक्षम स्तर से आगणन/ कोटेशन आदि के संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा उक्त धनराशि नियमानुसार आहरित कर सार्वजनिक क्षेत्र की उपरोक्त तालिका में अंकित संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- उपरोक्त तालिका में अंकित संस्थाओं के प्रमुख द्वारा जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 0201-सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय सहायता के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-469/दस-2015, दिनांक 5 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

सं**0-1178(1)/12-3-2015-**तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।

7- प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

9- प्रबन्ध निदेशक, पी.सी.डी.एफ., उत्तर प्रदेश लखनऊ।

10 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।

13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in